

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी, शाहपुरा  
(जिला-भीलवाड़ा) राज0

पीठसीन अधिकारी : सुनील कुमार मीणा, आर0ए0एस0  
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 188/2025  
जी0सी0एम0एस0 संख्या : 2025/240

- 1-3 राधेश्याम, कमला, गलकू पिता कल्याण बावरी निवासी बोरड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा  
4- तीजा पत्नी कल्याण बावरी निवासी बोरड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा  
5-8 महावीर, मिटू, बदाम, सत्तु पिता कल्याण बावरी निवासी बोरड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा  
-प्रार्थीगण

**बनाम**

- 1- लादू पिता मिश्री बावरी निवासी बोरड़ा बावरियान तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा  
2- भगवान पिता उदा बावरी निवासी बोरड़ा बावरियान तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा  
3- शानु पिता गीगा बावरी निवासी बोरड़ा बावरियान तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा  
4- कैलाश पिता मदन सोनी निवासी बोरड़ा बावरियान तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा  
5- ग्राम पंचायत जरिये ग्राम विकास अधिकारी बोरड़ा बावरियान तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा  
6- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा  
-विपक्षीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू : 11/09/2025

उपस्थित :-

1. श्री कमलेश कुमार मुण्डेतिया : अधिवक्ता प्रार्थीगण

::- निर्णय -::

दिनांक : 28/04/2026

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत विरुद्ध विपक्षीगण इस आशय का पेश किया कि ग्राम बोरड़ा प0ह0 बोरड़ा भू0अ0निरीक्षक बोरड़ा तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 3315/121 रकबा 0.4400 है0, 3316/160 रकबा 0.4700 है0, 3319/2326 रकबा 0.3700 है0 कुल किता 3 रकबा 1.2800 है0 कृषि भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदार की स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण पड़ोसी है जो आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय एवं मेड़ों की घास काटते समय मौके पर सीमा को लेकर विवाद करते है। प्रार्थीगण दिनांक 07.07.2025 को अपनी आराजियात को देखने गये तो विपक्षीगण द्वारा सीमा को लेकर विवाद किया गया। इस प्रकार प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य कृषि भूमि की सीमा का विवाद है। इसलिए प्रार्थीगण की उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कर नापचौप कर पत्थरगढी कर करवाये जाने बाबत श्रीमानजी के समक्ष सादर पेश है। अतः ग्राम बोरड़ा प0ह0 बोरड़ा भू0अ0निरीक्षक बोरड़ा तहसील शाहपुरा की उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि किता 3 रकबा 1.2800 है0 की चारों सीमाओं की पुख्ता जानकारी करते हुए चारों सीमाओं पर पुख्ता निशानात पत्थर लगाये जाकर पत्थरगढी कराये जाने हेतु न्यायहित में आदेश फरमावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर किया गया। विपक्षीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामिली विपक्षीगण 1 लगायत 4, 6 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई विपक्षीगण सं. 5 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गयी।

आज दिनांक 28/04/2026 को अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली और उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया, जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 ग्राम बोरड़ा प0ह0 बोरड़ा भू0अ0निरीक्षक बोरड़ा तहसील शाहपुरा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 3315/121 रकबा 0.4400 है0, 3316/160 रकबा 0.4700 है0, 3319/2326 रकबा 0.3700 है0 कुल किता 3 रकबा 1.2800 है0 के अभिलिखित संयुक्त खातेदार है। प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि उसे अपनी खातेदारी आराजी की सीमाओं का ज्ञान हो, व इस हेतु सीमांकन करवा सके एवं सीमाओं का

उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलेक्टर  
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा(राज.)

सीमाचिन्ह लगवा सके ताकि वह अपने खातेदारी अधिकारों का स्वतंत्रता से उपभोग एवं उपयोग कर सके। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार शाहपुरा को प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की उक्त वर्णित आराजियात का समयानुसार सीमाज्ञान करवाते हुए प्रार्थीगण के खर्चे पर प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी करवाने का निर्देश प्रदान करना विधिसंगत एवं उचित समझता हूँ।

—:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजी राजस्व ग्राम बोरड़ा प0ह0 बोरड़ा भू0अ0निरीक्षक बोरड़ा तहसील शाहपुरा के खेत की आराजी खसरा नम्बर 3315/121 रकबा 0.4400 है0, 3316/160 रकबा 0.4700 है0, 3319/2326 रकबा 0.3700 है0 एवं इससे लगती विपक्षीगण की आराजी का मौके पर रिकार्ड अनुसार माप करवाते हुए प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक बोरड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस 1000/- रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से भू0अ0निरीक्षक बोरड़ा मौके पर प्राप्त करें। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा वक्त कार्यवाही उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावें। दौराने कार्यवाही संबंधित खातेदारों के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर, सीमाओं में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करते हुए कब्जा प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु पाबंद किया जावे। उक्त आदेश के तहत किसी भी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेदबदल नहीं किया जावे। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में किसी न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं न्यायालय का स्थगन होने की दशा में पत्थरगढी की कारवाई नहीं की जावे। यदि सम्पूर्ण भूमि पर अन्य काश्तकार/व्यक्ति काबिज है तो पत्थरगढी की कार्यवाही नहीं की जाकर तदनुसार रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्थरगढी से पूर्व समस्त पक्षकारान(किसी भी पक्षकारान की मृत्यु की स्थिति में उनके विधिक वारिसान) को सूचित किया जावे। पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हों। निर्णय आज दिनांक 28/04/2026 को सुनाया गया

( सुनील कुमार मीप्पा )  
सहायक कलेक्टर एवं  
पदेन उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि उक्तानुसार पालना की जाकर पालना रिपोर्ट भिजावें।



सहायक कलेक्टर एवं  
पदेन उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा